अध्याय - 5

ठेका प्रदान करने की प्रणाली

ठेका प्रबन्धन वित्तीय एवं प्रचालनात्मक निष्पादन को अधिकतम और जोखिम को न्यूनतम करने के प्रयोजन के लिए ठेका प्रदान करना, कार्यान्वयन और विश्लेषण का प्रणालीगत एवं दक्षतापूर्वक प्रबंध करने की एक प्रक्रिया है।

लेखापरीक्षा ने लागत प्राक्कलन, निविदा दस्तावेजों को तैयार करना, बोलियाँ आमंत्रित करना, बोलियों की प्राप्ति एवं उन्हें खोलना, बोलियों के प्रक्रियाकरण एवं मूल्यांकन, संस्तुत बोलीदाता के साथ ठेका प्राप्त करने पूर्व चर्चा, ठेका प्रदान करना, ठेका को प्रदान करने का पश्च-कार्यान्वयन और ठेका संशोधनों की बातों के साथ-साथ ठेका प्रबन्धन के विभिन्न चरणों की विस्तार से जाँच-पड़ताल की है। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 24 ठेकों[50] में से 13[51] में त्रुटियाँ पायी थी। जाँच के कम्पनी-वार परिणामों पर परवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1 लागत प्राक्कलन में अपर्याप्तताएँ

लागत प्राक्कलन उस लागत की उपयुक्तता को स्थापित करने के लिए तैयार किए जाते हैं जिस पर पैकेज क्रियान्वित हो सके। अतएव, यह अनिवार्य है कि प्राक्कलन वास्तविक एवं उद्देश्यपूर्ण तरीके से तैयार किए जाए। प्राक्कलन प्रक्रिया के कम्पनी-वार विश्लेषण से कुछ अवयवों में निम्नलिखित अपर्याप्तताएँ पाई गई थीं:

कम्पनी	प्राक्कलन प्रक्रिया में अपर्याप्तताएँ	मंत्रालय/प्रबन्धन का उत्तर
एसजेवीएनएल	रामपुर परियोजना के लागत प्राक्कलनों में मुख्य उपस्कर की हार्ड कोटिंग को छोड़ दिया गया था जिसमें प्राक्कलित लागत का 12.4 प्रतिशत अर्थात् ₹ 66.60 करोड़ का व्यय और ₹ 48.98 करोड़ अर्थात् 9.1 प्रतिशत के अनिवार्य पुर्जो का कम प्राक्कलन सम्मिलित था। इस प्रकार प्राक्कलन यथार्थ नहीं थे।	मंत्रालय/एसजेवीएनएल प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2012) कि इन विशेष प्रावधानों और फालतू पुर्जों की अतिरिक्त मात्रा को परामर्शदाता के साथ (अर्थात् सीईए) परामर्श करके अंतिम रूप दिया गया था और इसे उपलब्ध अत्यंत सीमित डाटाबेस के कारण संशोधित प्राक्कलनों में शामिल नहीं किया जा सका था।

[50] *एनएचपीसी-16, एसजेवीएनएल-3, टीएचडीसी-3 एवं नीपको-2*

[51] *एनएचपीसी-10, एसजेवीएनएल-2, टीएचडीसी-1 और नीपको-0*

कम्पनी	प्राक्कलन प्रक्रिया में अपर्याप्तताएँ	मंत्रालय/प्रबन्धन का उत्तर
एनएचपीसी	प्राक्कलन चालू बाजार कीमतों के अनुसार नहीं हैं क्योंकि 16 ठेकों (जिसमें सात परियोजनाएँ सम्मिलित थीं) में से 10 के सम्बन्ध में प्राक्कलित लागत के (-) 26.22 प्रतिशत (₹ 204.36 करोड़) से (+) 37.21 प्रतिशत (₹ 53.71 करोड़) के बीच भारी अंतर के साथ कार्य प्रदान किए गए थे। भंडारण सम्बन्धी बाधाएँ एवं जलवायु दशाओं पर निम्मो-बाज़गो और चुटक परियोजनाओं में विचार नहीं की गई थीं जिससे अधिकतम अंतर प्रदर्शित हुआ।	एनएचपीसी द्वारा तैयार की गई लागत प्राक्कलन सीईए/सीडब्ल्यूसी के सामान्य दिशानिर्देशों पर आधारित थे और प्राक्कलित की तुलना में उद्धृत दरों में अंतर घरेलू एवं वैश्विक स्तरों पर जल विद्युत परियोजनाओं के लगभग सभी कार्य पैकेजों में हुआ था। चुटक एवं निम्नो-बाज़गो परियोजनाओं के सम्बन्ध में मंत्रालय ने प्राक्कलित लागत और प्रदान की गई लागत के बीच अंतरों के कारणों में ऊँचाई पर वास्तविक क्रियान्वयन अस्पष्टताओं और जटिलताओं के सम्बन्ध में ठेकेदारों एवं एनएचपीसी दोनों की ओर से अनुभव के अभाव को स्वीकार किया था।
	जिवा नालाह और पार्बती II परियोजना से सम्बन्धित सम्बद्ध कार्यों के मामले में वास्तविक चट्टान उत्खनन 5,35,000 घ.मी. (अर्थात् 37,500 घ.मी. की मात्रा के प्राक्कलित बिल से 1,326 प्रतिशत से ऊपर) था। कार्य का कम अनुमान, सड़क चौड़ाई में अंतर और सड़क के संरेखण में बदलाव से ₹ 30.97 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा हुई।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2012)।
टीएचडीसी	तीन ठेकों में से एक में प्राक्कलित एवं प्रदान की गई लागत में 39.56 प्रतिशत (₹ 35.92 करोड़) का ऋणात्मक अंतर पाया गया था।	टीएचडीसी प्रबन्धन एवं मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं दी थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को मुख्यतः स्वीकार किया। इस प्रकार, प्राक्कलन प्रक्रिया कार्य प्रदान करने के लिए वास्तविक बेंचमार्क उपलब्ध कराने में विफल रही।

5.2 ठेकेदारों के चयन के लिए पूर्व योग्यता मापदंड

पूर्व योग्यता (पीक्यू) मापदंड इस प्रकार से नियत करना अपेक्षित है कि वह अनुभवहीन, अक्षम, संसाधन रहित और वित्तीय रूप से असुदृढ़ आवेदकों की छँटनी करने एवं उन्हें शामिल न करने में समर्थ हो और साथ-साथ वृहद भागीदारी को प्रोत्साहित करें। पीक्यू मापदंड उद्देश्यपूर्ण एवं स्पष्ट होने चाहिए। वे आवेदक जो पीक्यू मापदंड में अहर्ता प्राप्त करते हैं बाद की बोली प्रक्रिया में शामिल होंगे।

एनएचपीसी में विभिन्न परियोजनाओं के ठेकों को प्रदान करने के लिए पीक्यू मापदंड के प्रतिपादन की समीक्षा से पता चला किः

(क) जुलाई 2004 तक एनएचपीसी में पीक्यू मापदंड के नियतन के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे किन्तु बहुविषयक समिति द्वारा पीक्यू मापदंड के नियतन की पद्धति का अनुपालन किया जा रहा था। लेखापरीक्षा सहमत है कि कुल 16 ठेकों (जुलाई 2004 से पूर्व 13 ठेके और दिशानिर्देशों के जारी होने बाद तीन ठेके) में से इस पद्धति का अनुपालन 13 ठेकों में किया गया था। तथापि, पार्बती II परियोजना से सम्बन्धित तीन ठेकों में पीक्यू मापदंड अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित थे (नवम्बर 2000)।

मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011 एवं मार्च 2012) कि एनआईटी (नवम्बर 2000) के आमंत्रण करने के समय पीक्यू मापदंड के प्रतिपादन के लिए एक समिति के गठन की अपेक्षा और प्रमुख सिविल कार्यो के पीक्यू मापदंड के प्रतिपादन के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे। पीक्यू मापदंड के प्रतिपादन के लिए समिति के गठन हेतु दिशानिर्देश जुलाई 2004 से प्रभावी हुए थे।

(ख) ठेका प्रबन्धन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के, लिए यदि एक बार पीक्यू मापदंड नियत कर दिया है और निविदा दस्तावेज जारी किए जाते हैं तो पीक्यू मापदंड में शिथिलन नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 ठेकों में से, सुबंसिरी लोवर और पार्बती II परियोजनाओं (**अनुबंध III** और **अनुबंध IV** में ब्यौराबद्ध) से सम्बन्धित पाँच ठेकों में पीक्यू मापदंड निविदा प्रलेखों की बिक्री की अंतिम तारीख के बाद शिथिल किये गये थे। पार्बती II परियोजना में, हेड रेस टनल (एचआरटी) के 9 किमी स्ट्रेच[52] के उत्खनन के महत्व को विचार करते हुए प्रारम्भिक पीक्यू मापदंड में परिकल्पित है कि "एक जेवी भागीदार को टीबीएम प्रौद्योगिकी " के उपयोग में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। "तथापि, निविदा दस्तावेज की बिक्री की समाप्ति (15 दिसम्बर 2000) बाद एक जेवी भागीदार द्वारा टीबीएम प्रौद्योगिकी के अनुभव की शर्त को इस तर्क पर "एक उपठेकेदार द्वारा टीबीएम के सुसंगत अनुभव " तक शिथिल किया[53] गया था (फरवरी 2001) कि टीबीएम में विशेषज्ञ विदेशी एजेन्सियाँ जेवी भागीदार के रूप में बोली में भाग लेने के लिए अनिच्छुक थे।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि सामान्य पद्धति के अनुसार एनएचपीसी पीक्यू मापदंड की समीक्षा हेतु भावी बोलीदाताओं के अभ्यावेदनों पर अनिवार्य रूप से विचार करती हैं। तद्नुसार कई बोलीदाताओं के अभ्यावेदन के आधार पर वित्तीय मापदंड समिति द्वारा समीक्षा किये गये थे और उनमें संशोधन किया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि 2004 से सभी पीक्यू/बोली दस्तावेज और उनके अन्तर्गत संशोधन एनएचपीसी के वेबसाइट पर पोस्ट किये जाते हैं और वर्तमान में पीक्यू/बोली में कोई संशोधन बिक्री तारीख की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जा रहा है।

---

[52] *31.20 किमी के एचआरटी की कुल लम्बाई में से मात्र 9 किमी की योजना टीबीएम के माध्यम से बनायी गई थी और शेष की योजना ड्रिल एवं ब्लास्ट पद्धति (डीबीएम) के माध्यम से बनायी गई थी।*

[53] *कम्पनी की एक समिति की सिफारिशों और एनएचपीसी के सीएंडएमडी के अनुमोदन आधार पर ठेका डिवीजन द्वारा*

तथापि, प्रबन्धन का तर्क कि टीबीएम में विशेषज्ञ विदेशी एजेन्सियाँ जेवी भागीदारों के रूप में बोली लगाने में भाग लेने के लिए अनिच्छुक थीं, गलत था क्योंकि एचआरटी पैकेज के लिए एनएचपीसी द्वारा पूर्व अहर्ता प्राप्त दस बोलीदाताओं में से छः[54] वे थे जिसमें या तो एकमात्र आवेदक अथवा एक भागीदार को टीबीएम का उपयोग करने का अपेक्षित अनुभव था।

(ग) एनएचपीसी[55] में जेवी बोलीदाताओं के लिए, पीक्यू में परिकल्पना की गई थी कि अग्रणी भागीदार को विनिर्दिष्ट मापदंड की कम से कम 50 प्रतिशत की औसत वार्षिक कुल बिक्री को पूरा करना चाहिए और अन्य भागीदार (रों) को विनिर्दिष्ट मापदंड के कम से कम 20-30 प्रतिशत भाग की बिक्री को, पृथक-पृथक पूरा करना चाहिए। तथापि, एनएचपीसी की पार्बती-II परियोजना के पीक्यू मापदंड ने अन्य भागीदारों सहित अग्रणी भागीदार के लिए सीमा निर्दिष्ट नहीं की थी। मेटास इन्फ्रा लिमिटेड मैसर्स हिमाचल जेवी के एक अग्रणी भागीदार ने कुल बिक्री अपेक्षा का मात्र 39 प्रतिशत पूरा किया और अन्य जेवी भागीदार श्री शंकरनारायण ने औसत कुल बिक्री मापदंड का मात्र 19 प्रतिशत पूरा किया।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि पीक्यू मापदंड विभिन्न कार्य पैकेजों के लिए वृहद भागीदारी की दृष्टि से बनाया गया था और न कि किसी पक्षकार के लाभ देने अथवा पक्षपात करने के विचार से। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि यह मापदंड तीस्ता V परियोजना के संशोधित मापदंड के समान था।

उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं है क्योंकि पीक्यू मापदंड वित्तीय एवं तकनीकी रूप से कमजोर पक्षकारों को छाँटना सुनिश्चित करने के लिए है और पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाना चाहिए। एक प्रारम्भिक ठेके में मापदंड के शिथिलन से ठेके का विचलन औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता है।

(घ) एनएचपीसी की पार्बती II परियोजना के एचआरटी और संबद्ध कार्य के सम्बन्ध, में मेटास के नेतृत्व में मैसर्स एचजेवी (श्री शंकरनारायण कंस्ट्रक्शन कम्पनी और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) ने पीक्यू मापदंड के अनुसार विनिर्दिष्ट निर्माण अनुभव पूरा नहीं किया था तथापि, उन्हें पात्र समझा गया था जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता थाः

i. पीक्यू में "एक टनलिंग फेस से प्रति महीने उत्खनित मात्रा 11,000 क्यूबिक मीटर अथवा 300 मीटर की लंबाई के साथ 8.00 किमी से अधिक लम्बाई की टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के साथ टनल का समापन" अपेक्षित था। मैसर्स एचजेवी ने 7.5 किमी हैड रेस टनल (एचआरटी) और 3.3 किमी के टेल रेस टनल (टीआरटी) के साथ अपने द्वारा प्रस्तावित स्वीडेन के एक उप ठेकेदार द्वारा टीबीएम के साथ 10.80 किमी के कार्य अनुभव के साथ अपनी बोली का समर्थन किया और उसे प्रबन्धन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

---

[54] *(1) मैसर्स डाइविडैग इन्टरनेशनल जीएमबीएच, (2) मैसर्स एचसीसी-एएमबी जेवी, (3) मैसर्स स्कान्स्का-एलएंडटी जेवी, (4) मैसर्स पार्बती टनल जेवी, (5) मैसर्स डाइलीम इंडस्ट्रीयल कं. लिमिटेड, (6) मैसर्स समसंग कारपोरेशन*

[55] *एनएचपीसी द्वारा 13 ठेकों में से 10 में यह पद्धति अपनायी गई थी, दो ठेकों के मामले में जेवी को अनुमत नहीं किया गया था।*

एनएचपीसी प्रबन्धन/मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2011 और मार्च 2012) कि पीक्यू मापदंड इस उद्देश्य के साथ प्रारम्भ में निर्धारित किये गये थे कि बोलीदाता को विशेष लम्बाई के टनल के समापन का अनुभव होना चाहिए और उसने वांछित प्रगति दर भी प्राप्त की हो। इस प्रकार समिति ने अनुभव पर विचार किया था और अनुभव किया कि आवेदक ने औसत प्रगति के मापदंड को पूरा किया था।

उत्तर को इस सन्दर्भ में देखा जाता है कि बोलीदाता से एक टनलिंग फेस से एक टनल की 8 किमी से अधिक लम्बाई का अनुभव अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, एक बोलीदाता (मैसर्स पटेल-एसईडब्ल्यू जेवी) द्वारा प्रस्तावित उप ठेकेदार जो एल2 बोलीदाता था, का टीबीएम के साथ 21 किमी से अधिक का कार्य अनुभव था।

ii. पीक्यू मापदंड के अनुसार, सम्बन्धित लॉट के तकनीकी मापदंड की प्रत्येक मद को संयुक्त उद्यम के एक भागीदार द्वारा पृथक रूप से पूरा किया जाना था और विभिन्न जेवी भागीदारों का अनुभव एवं निष्पादन संक्षेप में नहीं दिया जाना था। पीक्यू मापदंड में अन्य बातों के साथ-साथ डीबीएम[56] के साथ 5 किमी से अधिक (फरवरी 2001 में 2 किमी तक संशोधित) के टनल का समापन निर्धारित था। मेटास, मैसर्स एचजेवी के अग्रणी भागीदार ने श्री शंकरनारायण कंस्ट्रक्शन कम्पनी के साथ मेटास के एक संयुक्त उद्यम द्वारा निष्पादित लारजी परियोजना के अनुभव का दावा किया।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि जेवी भागीदारों द्वारा निष्पादित कार्य के बँटवारे के अभाव में, कार्य अनुभव जेवी के दोनों भागीदारों को उपलब्ध था। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि पीक्यू मूल्यांकन समिति ने बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर आधारित सर्वोत्तम निर्णय लिया था।

उत्तर पुष्टि करते हैं कि बोलीदाता पीक्यू मापदंड की पूर्ति नहीं कर रहा था और समिति ने एक अपात्र फर्म को पूर्व-योग्य ठहराया जिसने न तो एक टनलिंग फेस से 8.00 किमी से अधिक लम्बाई के बोरिंग टनल के तकनीकी अनुभव की पूर्ति की न ही डीबीएम प्रौद्योगिकी के प्रत्येक मापदंड की पूर्ति की।

5.3 बोलियों का मूल्यांकन

तकनीकी वाणिज्यिक बोलियाँ उन बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं जो पूर्व अहर्ता मापदंड के योग्य हो जाते हैं। इनका मूल्यांकन गठित समिति द्वारा किया जाता है जिसमें ठेका विभाग, परियोजना कार्यस्थल और वित्त के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऐसे मूल्यांकन के आधार पर, कीमत बोलियाँ तकनीकी वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य बोलीदाताओं से माँगी जाती है। तथापि, एसजेवीएनएल और टीएचडीसी में तकनीकी-वाणिज्यिक एवं कीमत बोलियाँ पीक्यू मूल्यांकन के बाद आमंत्रित की जाती है। निम्नतम बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरों की औचित्यता कार्य प्रदान करने के लिए सिफारिश से पहले समिति द्वारा संवेदनशील विश्लेषित दरों सहित प्राक्कलित दरों पर निर्धारित की जाती है। एनएचपीसी में बोली प्रक्रिया की जाँच से निम्नलिखित का पता चलाः

---

[56] *ड्रिल एवं ब्लास्ट पद्धति*

5.3.1 एक अपात्र बोलीदाता को पुनर्विचार करना

एनएचपीसी की सुबंसिरी लोवर परियोजना के सिविल कार्यो के लिए, न्यूरोल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग इंक, टर्की की पीक्यू बोली पीक्यू मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी क्योंकि इसने "कुल बिक्री " (110 मिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता की तुलना में 83.93 मिलियन अमरीकी डालर) के वित्तीय मापदंड को पूरा नहीं किया था। इसके बावजूद, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दस्तावेज फर्म को जारी किए गए थे और कीमत बोलियाँ फर्म के तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाए जाने के बाद भी आमंत्रित की गई थीं।

मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011 और मार्च 2012) कि फर्म ने पूर्व-योग्यता के लिए अपने आवेदन पर पुनर्विचार हेतु एनएचपीसी से सम्पर्क किया। बेहतर प्रतिस्पर्द्धा और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी प्राप्त करने हेतु समिति ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में फर्म को पूर्व योग्यता-प्राप्त माने जाने की सिफारिश की और एसएसएल 2 कार्य पैकेज में सम्मिलित होने के लिए अनुमत किया।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीक्यू मापदंड के मूल्यांकन के बाद किसी बोलीदाता के आवेदन के पुनर्विचार से बोली प्रक्रिया दूषित होती है और अन्य संभावी बोलीदाताओं को ईक्विटी की अस्वीकृति होती है।

5.3.2 बोली खोलने में पारदर्शिता का अभाव

एनएचपीसी के चमेरा-III परियोजना (सिविल कार्य) के मामले में, निम्नतम मूल्यांकित बोलीदाता अर्थात् हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा प्रस्तावित 32.40 प्रतिशत की छूट एचसीसी द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेजों का भाग नहीं थी क्योंकि यह न तो अग्रेषण पत्र में उल्लिखित थी न ही बोली खोलने वाली समिति (अगस्त 2005) द्वारा विनिर्दिष्ट थी। बोलीदाता द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत छूट-पत्र और एचसीसी को कार्य, प्रदान करना सही नहीं था।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि बोलीदाता ने बोली शर्तो के अनुसार बाह्य लिफाफे में सीलबंद पृथक लिफाफे में रिबेट का प्रस्ताव दिया था। चमेरा-III सिविल कार्य पैकेज के लिए बोलियाँ सभी बोलीदाताओं/बोलीदाताओं के प्रतिनिधि जिन्होंने उपस्थित रहने का विकल्प दिया था की उपस्थिति में बोली खोलने वाली समिति द्वारा खोली गई थीं। इस प्रकार साँट-गाँठ/ हेराफेरी की संभावनाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि बोली दस्तावेजों में बोली फार्म में रिबटे के अनिवार्य सन्दर्भ का प्रावधान नहीं था। तथापि, नीतिगत विषय होते हुए बोलीदाताओं को छूट, यदि कोई है, 18 मई 2009 के बाद केवल बोली फार्म में प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई थी।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोली खोलने वाली समिति ने बोलियाँ खोलने के समय एचसीसी द्वारा प्रस्तुत किसी छूट-पत्र की सूची नहीं बनायी थी। इसे बोली के अग्रेषण-पत्र में भी उल्लिखित नहीं किया गया था।

5.3.3 खराब ट्रैक रिकार्ड के बावजूद बोली को खोलना

एनएचपीसी की चुटक परियोजना के सिविल कार्य पैकेज के लिए मेटास की तकनीकी-वाणिज्यिक बोली रद्द कर दी गई थी (अप्रैल 2006) क्योंकि पार्बती-II परियोजना में मैसर्स एचजेवी (मेटास के नेतृत्व में) का निष्पादन अच्छा नहीं था। यह निविदा रद्द कर दी गई थी क्योंकि प्राप्त निम्नतम कीमत बोली अनुमोदित लागत प्राक्कलन से 58 प्रतिशत उच्चतर थी। पुनः निविदा के दौरान, मेटास की बोली पार्बती-II परियोजना में खराब निष्पादन के कारण मेटास के अस्वीकरण का पूर्ववर्ती निर्णय रद्द करते हुए खोली गई थी (सितम्बर 2006)। प्रबन्धन ने खराब निष्पादन की वजह से प्रस्ताव पर पहले न विचार कर और बाद में बैंक से एक परियोजना विशिष्ट वित्तीय वचनबद्धता के प्रस्तुतीकरण पर उनके प्रस्ताव पर विचार पर सुसंगता का अभाव प्रदर्शित किया था।

मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011 और मार्च 2012) कि मेटास ने बैंक से कार्यचालन पूँजी के लिए ₹ 25 करोड़ के मूल्य की संपूर्ण निर्माण अवधि के लिए एक परियोजना विशिष्ट वित्तीय वचनबद्धता प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर निविदा मूल्यांकन समिति ने फर्म को योग्य ठहराया।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पार्बती-II परियोजना में उनका निष्पादन खराब था और इस प्रकार, इसे चुटक परियोजना में पुनर्निविदा में भागीदारी से वर्जित कर दिया जाना चाहिए।

5.4 ठेके प्रदान करना

5.4.1 ठेके प्रदान करने में विलम्ब

एनएचपीसी ने निर्धारित किया (जून 2004) कि कार्य प्रदान करने के पत्र के निर्गम की तारीख से एनआईटी के प्रकाशन की तारीख तक 9.5 महीनों के भीतर निविदा सम्बन्धित कार्यकलाप पूरे हों। इसकी तुलना में, प्रबन्धन ने 16 चयनित ठेकों में से 15 में निविदा सम्बन्धित कार्यकलापों के मामले में 14 से 28 महीनों तक ***(अनुबन्ध V)*** लिये और शेष एक ठेके में चार महीनों में निविदा कार्यकलाप पूरे किए। एसजेवीएनएल ने लेखापरीक्षा में जाँच के लिए चयनित तीन ठेकों में 21 से 28 महीने का समय लिया जबकि टीएचडीसी ने लेखापरीक्षा में जाँचे गए तीन ठेकों में 39 से 80 महीने का समय लिया। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011 और मार्च 2012) कि पीक्यू आवेदनों, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोलियों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख समय समय पर विभिन्न अनुमतियों की प्रास्थिति को विचार करते हुए संभावी आवेदकों/बोलीदाताओं के अनुरोध पर बढ़ायी गई थी। बोलियाँ सीसीईए संस्वीकृति के साथ कम अथवा अधिक समानांतर अंतिम रूप दी गई थीं और अधिकांश मामलों में स्वीकृति पत्र सीसीईए द्वारा अनुमोदन के बाद शीघ्र ही जारी किए गये थे।

मंत्रालय/प्रबन्धन का उत्तर कि कार्य विभिन्न अनुमतियों के लम्बित होने के कारण प्रदान नहीं किए जा सके मान्य नहीं है क्योंकि सुबंसिरी लोवर और तीस्ता-IV के सिविल कार्य सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन की तारीखों से तीन एवं चार महीनों के बाद प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ठेकों के प्रदान करने में विलम्ब सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ समन्वित प्रयत्नों द्वारा न्यूनतम किया जा सकता था।

5.4.2 भूमि अधिग्रहण से पहले कार्य प्रदान करने के कारण परिहार्य व्यय

सुबंसिरी लोवर परियोजना के सिविल कार्य ठेके तत्काल कार्य शुरू करने के अनुदेश के साथ एनएचपीसी द्वारा प्रदान किए गए थे (दिसम्बर 2003)। तथापि, भूमि वन अनुमति के बाद जनवरी 2005 में एनएचपीसी को सौंपी गई थी। सिविल कार्यो के ठेकेदारों ने परियोजना कार्यस्थल पर निष्क्रिय श्रमबल और मशीनरी के लिए ₹ 135.68 करोड़ का दावा किया। इस पर, एनएचपीसी ने अब तक (मार्च 2012) ठेकेदार को ₹ 24.85 करोड़ का अंतरिम भुगतान किया है।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि मुकदमेबाजी इत्यादि के कारण औपचारिक वन अनुमति में विलम्ब से कार्यस्थल को सौंपने में विलम्ब हुआ। कंक्रीट पिलरों का निर्माण कर क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं सीमांकन के बाद ठेकेदार को कार्य करने के लिए जनवरी 2005 में अनुमति दी गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि एक नीतिगत विषय के रूप में 2007 के बाद कार्य के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित भूमि की वास्तविक उपलब्धता के बाद ही कार्य प्रदान किया जा रहा है।